सुनील उर्फ बालू दास एवं अन्य

बनाम

राजेश दास एवं अन्य

(क्रिमिनल अपील संख्या 356/2008)

फरवरी 21, 2008

(डाॅ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

गैर तार्किक आदेश – न्यायिक औचित्य – अभिनिर्धारित किया कि – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना व तार्किक कारण/तर्क दिए बिना एकदम निष्कर्ष पर पहुंचना – आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ विकल्प के कारण – कारण जानने का अधिकार सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का अपरिहार्य भाग है – कारण बताना प्राकृतिक न्याय के वैधानिक प्रावधानों में से एक है।

अपीलीय अधिकारिता/न्यायिक पुरावलोकन की शक्तियों के प्रयोग के लिए तार्किक कारण एक आवश्यक घटक है – तार्किक कारण की अनुपस्थिति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना अपोषणीय – प्रकरण उच्च न्यायालय को विधि अनुसार नये सिरे से निपटाने हेतु प्रेषित किया गया – प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त – न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता।

कथित तौर पर अपीलांट द्वारा एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा मामला विचारण न्यायालय को विधि अनुसार नए सिर से निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वर्तमान अपील की गई।

अपीलांट की ओर से तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है, बिना किसी तार्किक तर्क/कारण के कि विचारण न्यायालय के निर्णय में क्या दुर्बलताऐं थी, दिया गया है। रिविजन शिकायत के स्तर पर पोषणीय नहीं थी, रिविजन अधिकारिता का प्रयोग परिसीमित दायरे में होनी चाहिए।

अपील अनुमत की गई।

अभिनिर्धारित किया

1.1 आक्षेपित निर्णय को पढ़ने मात्र से यह प्रतीत होता है कि कोई भी कारण नहीं दर्शित किए गए व ना ही रिकार्ड पर आई साक्ष्य का विश्लेषण ही किया – एकदम निष्कर्ष पर पहुंचना यह दर्शित करता है कि कानून की आवश्यकताआेंं की संतुष्टि के बिना एकदम निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।

(पैरा-5) (173-डी, इ)

1.2 आदेश में तार्किक कारण व स्पष्टता को इंगित करती है। साधारण शब्दों में न्याय पर सोच विचार करते हुए उच्च न्यायालय को चाहे वे संक्षिप्त में ही क्यों ना हो, अपनी न्यायिक मनः स्थिति के सूचक के रूप में तर्क देने चाहिये थे। उच्च न्यायालय के निर्णय में तार्किक कारणों का अभाव निर्णय को पोषणीय नहीं बनाता।

(पैरा-6) (173-इ, एफ)

बरीन बनाम समामेलित अभियांत्रिकि संघ (1971) 1 सभी.इ.आर. 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डूडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974) एल.सी.आर. 120 पर निर्भर,

2. मामला, उच्च न्यायालय को विधिनुसार रिवीजन याचिका पुनः नये सिरे से निस्तारित किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है (पैरा-8) (174-डी)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय : आपराधिक अपील 356/2008

रांची उच्च न्यायालय झारखण्ड के आपराधिक रिवीजन नंबर 656/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.02.2017 से

एस.बी. सान्याल, शुधांशु सरन, शालिनी चन्द्र, शेफाली जैन और अखिलेख कुमार पाण्डे अपीलार्थियों की ओर से

अजीत कुमार सिन्हा, आभास परिमल, नीरज के. सिंह, राजेश के. सिंह और आभा आर. शर्मा उत्तरदाताओं की ओर से

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पसायत के द्वारा सुनाया गया।

(1) अपील अनुमत की गई।

(2) मामला उच्च न्यायालय को रिविजन याचिका विधि अनुसार निस्तारित करने हेतु प्रेषित किया गया। प्रस्तुत अपील में झारखण्ड उच्च

न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें उनके द्वारा विचारण न्यायालय के दोष मुक्ति के निर्णय को अपास्त किया, जिसके क्रम में यह रिविजन याचिका को अनुमति दी गई।

नंबर 1. राजेश (जिसे की बाद में सूचनाकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) - अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दुर्बलता हैं, इस संबंध में कोई तार्किक कारण नहीं दर्शित किया गया है। अधिवक्ता के अनुसार विचारण न्यायालय का निर्णय विस्तृत रूप में है व प्रचुर तार्किक कारण समाहित करते हुए दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा बिना यह दर्शित करते हुए कि विचारण न्यायालय के निर्णय में क्या कमियाँ है, यांत्रिक तौर पर मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया। आकस्मिक निष्कर्ष देते हुए कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का सही तौर पर विवेचन नहीं किया गया व साक्ष्य का दुरूपयोग किया गया - दोष मुक्ति के निर्देश दिये गये। पुनः अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि यह इंगित नहीं किया गया कि साक्ष्य का कैसे सही तौर पर विवेचन नहीं किया गया व कैसे साक्ष्य का दुरूपयोग किया गया। यह भी बिन्दु उठाया गया कि केवल शिकायतकर्ता द्वारा दर्शित आधारों पर रिविजन याचिका पोषणीय नहीं है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग सीमित मापदण्डों के भीतर होना चाहिए। जब तक कि प्रक्रिया के

बारे में स्पष्ट दोष ना हो और प्रकट त्रुटियों से न्याय का हनन होने की संभावना ना हो। हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं। यह बिन्दु उठाया गया कि कथित घटना 20.11.94 को हुई व शिकायत 13 माह बाद आई.ई. 11.12.95 को दर्ज की गई।

(3) प्रत्यर्थी-01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलांट कथित अपराध के दोषी थे।

(4) उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है –

सुना गया।

सूचनाकर्ता द्वारा यह रिवीजन, आक्षेपित आदेश; जिसके द्वारा अभियुक्तगण को धारा 364, 366ए, 368 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों की दोषमुक्ति का आदेश दिया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है।

आक्षेपित निर्णय से यह दर्शित होता है कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नाबालिग लड़की सरिता कुमारी का उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण किया गया, तथापि अभियोजन के साक्षियों को इस आधार पर नकारा है कि वे अनुश्रुत साक्षी हैं व आगे

अभियोक्त्रि सरिता कुमारी की साक्ष्य को इस आधार पर नकारा है कि अभियोक्त्रि के बयान में व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में विरोधाभास है व अभियुक्त व्यक्तियों को इस आधार पर दोष मुक्त किया है कि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। मेरे मत में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में विवेचन नहीं किया गया एवं साक्ष्य के गलत विवेचन से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया।

तदनुसार, अभिलेख पर संकलित साक्ष्य के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष दिये बिना, प्रकरण विचारण न्यायालय को आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए, इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 08 सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों को सुनकर अभिलेख पर अवस्थित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर पुनः नए सिरे से विधिनुसार निर्णय पारित करे।

(5) आक्षेपित आदेश के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि अभिलेख पर अवस्थित साक्ष्य के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना यह दर्शित करता है कि न्यायिक मनःस्थिति का प्रयोग नहीं किया गया।

(6) तर्क, आदेश में स्पष्टता लाते है। न्याय का सामान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक मनःस्थिति को दर्शित करने के लिए कारण दिया जाना तात्विक

है, उच्च न्यायालय द्वारा भी, चाहे संक्षिप्त में, कारण आवश्यक रूप से बताने चाहिए थे। तर्क कारणों का अभाव उच्च न्यायालय के निर्णय को पोषणीय नहीं बनाता है।

(7) एम.आर. इन ब्रीन बनाम अमालगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971 (1) आल. इ.आर. 1148 में लोर्ड डेनी एम.आर. द्वारा यह निर्धारित किया कि "यहां तक कि प्रशासनिक आदेश के संबंध में भी यह देखा गया है कि "तर्क (कारण दिया जाना) एक अच्छे प्रशासन का मूल है।" *एजेक्जेंडर मशीनरी डडरी लिमिटेड कारबेट्री (1974) एल.सी.आर. 120)* में यह अभिनिर्धारित किया है कि "कारण का दर्शित नहीं किया जाना न्याय का विफल होना है" तर्क/कारण निर्णयकर्ता द्वारा प्रश्नों के विरोधाभास व निकाले गये निर्णय / निष्कर्ष के बीच की सीधी कड़ी है। कारण आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठतता के बीच का प्रतिस्थापन है। तार्किक कारणों का अवधारण यह है कि यदि निर्णय "रहस्यमयी गूढ चेहरा" दर्शाता है, परन्तु यदि वह इस संबंध में मौन है तो अपीलीय न्यायालय के लिये यह असंभव है कि वे अपीलीय अधिकारिता व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का प्रयाेग करते हुए निर्णय की वैधानिका को निर्धारित कर सके। कारण जानने का अधिकार सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। कम से कम कारणों से यह दर्शित हाेना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष मामले में न्यायिक तर्कों का प्रयोग किया गया है। दूसरा तर्क यह कि प्रभावित पक्ष

यह जान सके कि निर्णय उनके विरूद्ध क्यों दिया गया। प्राकृतिक न्याय का मुख्य घटक है कि आदेश देने के संबंध में कारण दिए जाए। न्यायिक व अर्द्धन्यायिक कार्य सम्पादन में "रहस्यमयी गूढ व्यक्ति" का मुहावरा बेमेल है।

(8) उपर्युक्त विवेचन से, आक्षेपित आदेश अपोषणीय होने से अपास्त किया जाता है। मामला उच्च न्यायालय को पुनः विधि अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(9) अपील अनुमत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।